दिनांक 21.10.2019 को आयोजित वीडियो कांफ्रेस की बैठक का कार्यवाही विवरण।

आयोजित बैठक में सभी संयुक्त/उप संचालकों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये–

नियमन शाखा :–

आय एवं आवक की समीक्षा :– वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना मे वित्तीय वर्ष 2018–19 मे मण्डी फीस आय मे वृद्धि हेतु 15 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिन मण्डी समितियों की आय में 15 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। उन मण्डी सचिवों के नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापना की जानकारी अपने स्पष्ट अभिमत के साथ 30–09–2019 तक चाही गई थी, इस संबंध मे निरंतर निर्देश देने के बावजूद प्रतिवेदन अप्राप्त है। समस्त संयुक्त/उप संचालक आगामी मासिक समीक्षा बैठक में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अनुज्ञा पत्र के सबंध में :– जिन संभागो की मण्डी समितियो मे मैनूअल आधार पर पूर्व मे जारी किये गये, अनुज्ञापत्र संभाग के बाहर सत्यापन हेतु शेष है, उन संभागो द्वारा अंर्तसंभागीय संभागबार समीक्षा की जाए एवं शेष रह गए अनुज्ञा पत्र सत्यापन की कार्यवाही यथाशीर्घ पूर्ण की जाए।

वाहन प्रतिष्ठानों की जांच के संबंध मे :–आंचलिक कार्यालय द्वारा गठित जॉच दल में सर्वप्रथम इन्दौर संभाग द्वारा वाहन चेंकिग के 03 प्रकरण में 100298/– तथा प्रतिष्ठान की जॉच के प्रकरण में भी इन्दौर संभाग द्वारा 10 प्रकरण में 203643/–,दूसरे स्थान पर जबलपुर संभाग ने प्रतिष्ठान की जॉच में 169070/–रूपये की वसूली की गई शेष संभागो द्वारा वसूली की गयी राशि नगण्य है।

इसी प्रकार आचंलिक कार्यालयों की मण्डी समितियों द्वारा भी इन्दौर संभाग ही अव्वल रहा जिसमें वाहन चेंकिग में 131470/–तथा प्रतिष्ठान की जॉच के प्रकरण में 130205/–रूपये की वसूली की गई। शेष संभागों की मण्डी समितियों द्वारा जॉच प्रकरण की कार्यवाही काफी कम की गई है। समस्त संभागो द्वारा कृषि उपज के अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डार के संबंध में सतत निरिक्षण किये जाए।

ई–अनुज्ञा पोर्टल कियान्वयन संबंधी –

अंचल की कुछ मण्डी समितियों के द्वारा दिनांक 01/08/2019 से 15/08/2019 की अवधि की ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज पाक्षिकी में संशोधन/डिलीट की कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा रहा है यह स्थिति ई–अनुज्ञा संचालन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है जिससे वित्तीय अपवंचन की संभावना प्रबल होती है। अंचल की समस्त मण्डी समितियों के सचिव से उपरोक्त स्थिति की तत्काल समीक्षा/जांच कराकर समाधान की कार्यवाही अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

02/ कुछ मण्डी समितियों के द्वारा ई–अनुज्ञा पोर्टल पर थर्ड पार्टी ई–अनुज्ञा बनाने में त्रृटि की जा रही है अर्थात दो के मध्य संव्यवहार होने की स्थिति में द्वितीय के नाम का तृतीय में भी इंद्राज किया जा रहा है जबकि "थर्ड पार्टी ई–अनुज्ञा बनने के संबंध में आपको कार्यालयीन पत्र कमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/521/1227–1228 दिनांक 06/05/2019 से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

03/ कुछ मण्डी समितियों के द्वारा व्यापारियों के भुगतान पत्रक की प्रविष्टि तो की जा रही है परन्तु उनके सत्यापन में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। अतः भुगतान पत्रकों की प्रविष्टि ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उसी दिन अनिवार्य रुप से पूर्ण करायें एवं मण्डी सचिव द्वारा त्वरित सत्यापन की कार्यवाही की जाये ताकि किसानों को उनकी उपज का यथा समय पूर्ण भुगतान होने की पुष्ठि मण्डी समिति द्वारा की जा सके।

04/ मण्डी समिति से त्रृटिपूर्ण जानकारी अथवा विसंगति दर्ज होने की स्थिति में ई–अनुज्ञा पोर्टल पोर्टल पर उसी दिन सुधार करने की सुविधा मण्डी सचिव के लॉगिन पर प्रदान की गई है। इसके लिये निर्धारित समय सीमा के उपरांत संशोधन/डिलीट की कार्यवाही मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर से किये जाने संबंधी अनुरोध पत्र पर संबंधित मण्डी सचिव स्वयं अपने एवं मण्डी कर्मचारी के नाम एवं मोबाईल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करते हुये भेजना सुनिश्चित करें।

05/ ई–अनुज्ञा पोर्टल से जारी ई–अनुज्ञा पत्रों के दैनिक प्रिंट आउट एवं संबंधित रिपोर्टस की एक–एक प्रति आवश्यक रुप से मण्डी रिकार्ड में संधारित कर सुरक्षित रखी जाये। ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध स्वतः जनित मण्डी फीस, प्राप्त अग्रिम, निराश्रित सहायता राशि, व्यापारीवार वास्तविक स्कंध सहित अन्य रिपोर्टस की दैनिक प्राप्ती सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग की जाये।

06/ ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य सुविधा की दृष्टि से व्यापारियों द्वारा जारी भुगतान पत्रक संबंधी एक्सेल शीट पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है जिसका उपयोग कर मण्डी समिति एवं व्यापारी अपने अपने लॉगिन आई.डी. के माध्यम से भुगतान पत्रकों की जानकारी एक्सेल शीट में सीधे अपलोड कर सकेंगे। अतः दैनिक कार्य संचालन में इसका उपयोग सुनिश्चित करें।

07/ मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा प्रतिदिन बिलों के आधार पर छोटी–छोटी मात्रा में कृषि उपज तो विक्रय की जा रही है परन्तु उसकी प्रविष्टि यथा जानकारी ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा रही है। जिसके कारण विक्रय स्कंध उपरांत वास्तविक स्कंध

अद्यतन नहीं हो रहा है। अतः अंचल की मण्डी समितियों से यह जानकारी नियमित रुप से ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज कराई जाना सुनिश्चित करें।

08/ मण्डी समितियों के द्वारा राज्य के बाहर के लिये जारी ई–अनुज्ञा पत्र के सत्यापन कार्य में विलम्ब किया जा रहा है। जिसके कारण यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि जारी ई–अनुज्ञा संबंधित अंतर्राज्यीय सीमा जांच चौकी पर प्राप्त हुई है अथवा नहीं? अतः राज्य के बाहर की ई–अनुज्ञा सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाये।

09/ ई–अनुज्ञा पोर्टल पर समस्त आंचलिक प्रभारियों एवं मण्डी सचिव को दैनिक मॉनिटरिंग करने के लिये ई–अनुज्ञा पोर्टल पर आवश्यक रिपोर्टस का कियेशन किया जाकर समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य पंजी/रिपोर्टस की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो उसके स्वरुप का निर्धारण कर प्रपत्र भिजवायें।

10/ अंचल की जिन मण्डियों/व्यापारियों के द्वारा ई–अनुज्ञा बनाने के उपरांत अनुरोध कर उसमें संशोधन/डिलीट की कार्यवाही करवाई गई है, की अद्यतन सूची आपको संलग्न भेजी जा रही है को संज्ञान में लेते हुये सभी आंचलिक प्रभारी एवं मण्डी सचिव स्थिति का सुक्ष्मता से आंकलन/मिलान/जांच की कार्यवाही अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार की वित्तीय संहिता का उल्लंघन यथा अपवंचन की स्थिति निर्मित नहीं हो।

ई–अनुज्ञा–

ई–अनुज्ञा पोर्टल पर किसानों के मोबाइल नंबर प्रविष्टि करने की अनिवार्यता समाप्त नहीं की गई है। भुगतान पत्रकों की एकजाई प्रविष्टि हेतु पोर्टल पर नई व्यवस्था कर दी गई है जिसके तहत व्यापारी द्वारा बनाई गई एक्सलशीट को पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। यह व्यवस्था व्यापारी लॉगइन आई.डी. एवं कर्मचारी लॉगइन आई.डी. दोनों पर दृष्टव्य है जिसका डेमों भी प्रदर्शित किया गया।

बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि प्रतिदिन बनाई जा रही अनुज्ञा की प्रिंट आउट लेकर मंडी कार्यालय में रखना सुनिश्चित करे।

विधानसभा आष्वासन के संबंध में :– विधानसभा प्रश्नो पर निर्मित आश्वासन जो विगत वर्षो से लंबित चले आ रहे है। जिसमे जबलपुर संभाग की कटनी मण्डी के 12–13 तथा इन्दौर संभाग की इन्दौर एवं धामनौद मण्डी के आश्वासन लंबित है। उक्त आश्वासनो की पूर्ति की जानकारी या अद्यतन जानकारी आगामी संयुक्त/उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।

भावांतर भुंगतान योजना :–

वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 में प्याज एवं लहसुन से संबंधित पोर्टल खोलने, त्रुटि सुधार, संशोधन, सांकेतिक गणना सूची आदि समस्त प्रकरणों में पत्राचार जिला कलेक्टर के माध्यम से संचालक, उद्यानिकी को किया जाने संबंधी पत्र मंडी बोर्ड मुख्यालय से जारी किया गया।

मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019–20 अंतर्गत शेष छूटी हुई प्रविष्टियों के इन्द्राज हेतु पोर्टल खोले गये–जैसे नीमच जिले के लिये 22.10.2019 एक दिवस, इन्दौर जिले के लिये 22 से 24.10.2019 तीन दिवस, जीरापुर, सारंगपुर जिले के लिये 22.10.2019 एक दिवस, आष्टा जिले के लिये 22 से 25.10.2019 चार दिवस, सीहोर जिले के लिये 22.10.2019 से 24.10.2019 तीन दिवस एवं उज्जैन जिले के लिये 22 एवं 23.10.2019 दो दिवस के लिये पोर्टल खोले जायेंगे।

भावांतर भुगतान योजना को जो भी पत्राचार होंगे वह कलेक्टर के माध्यम से होंगे। वर्ष 2019 के कृषक समृद्धि योजना (गेहूँ) एवं मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना हेतु मंडियों में रखे गये कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति ऑचलिक अधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव चाहे गये थे जिसके पूर्ण प्रस्ताव वर्तमान तक अप्राप्त है। जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

खरीफ 2019 में उपार्जन/भावांतर हेतु दिनांक 03 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2019 तक कृषकों के पंजीयन हो रहे है। मक्का फसल हेतु भावांतर योजना दिनांक 01 नवम्बर 2.019 से प्रारंभ होना संभावित है। सभी ऑचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिव पूर्व की भांति आवश्यक व्यवस्थाएं करले विशेष रूप से सी.सी.टी.व्ही. कैमरे सुचारू रहे।

भावांतर से संबंधित सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

विधानसभा के लंबित आश्वासन क्रमांक 205, 199 एवं 200 की पूर्ति का प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। विधान सभा आश्वासन क्रमांक 205 में 16 जिलों के कलेक्टरों से पूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से पूर्ति का प्रस्ताव प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

विधानसभा आश्वासन के क्रमांक 199 में चार जिलो यथा भोपाल, रायसेन, विदिशा एवं हरदा से आश्वासन की पूर्ति का पत्र प्राप्त हुआ है। शेष 04 जिलों का शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। विधानसभा आश्वासन के क्रमांक 200 में जिला कलेक्टर राजगढ से पूर्ति अपेक्षित है जिसे शीघ्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

वित्त शाखा :–

बोर्ड शुल्क– प्रदेश की 31 कृषि उपज मंडी समितियो का पूर्व वर्षो का माह अगस्त 2019 की स्थिति तक राशि रूपये 74088460/– बोर्ड शुल्क शेष है। सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे समय– सीमा में पूर्व वर्षो का बोर्ड शुल्क की राशि मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

बोर्ड ऋण – प्रदेश की मंडियों से ओवरडियु ऋण राशि 30.09.2019 की स्थिति में ''क'' वर्ग की 05 मंडी समितियों से राशि रूपये 279.08 लाख, ''ख'' वर्ग की 15 मंडी समितियों से राशि रूपये 688.27 लाख, ''ग'' वर्ग की 15 मंडी समितियों से राशि रूपये 1005.26 लाख तथा ''घ'' वर्ग की 64 मंडी समितियों से राशि रूपये 2000.18 लाख ओवरडियू ऋण किश्त राशि शेष है। सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे समय– सीमा में ओवरडियू ऋण की राशि मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

राज्य विपणन विकास निधि ''क'' वर्ग की 17 मंडी समितियों एवं ''ख'' वर्ग की 22 मंडी समितियों से राशि शेष है। सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे समय– सीमा में राज्य विपणन विकास निधि की राशि मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

निराश्रित शुल्क की जानकारी के संबंध में सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त राशि कलेक्टर खाते में जमा करावें तथा जमा की गयी राशि का स्टेटमेंट बैंक से प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

कार्मिक शाखा :–

ई–मंडी अनुज्ञा अंतर्गत संभाग की मंडियों में आउट सोर्स से रखे गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के माह जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक भोपाल संभाग की 11 मंडियों, उज्जैन संभाग की 08 मंडियों, ग्वालियर संभाग की 04 मंडियों, सागर संभाग की 07 मंडियों एवं जबलपुर संभाग की 02 मंडियों से राशि प्राप्त नहीं हुई है। मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

माह जुलाई 2019 से वर्तमान तक किये गये स्थानांतरणों की भारमुक्ति/उपस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने साथ ही जिन कर्मचारियों को भारमुक्त नहीं किया गया है उसका कारण सहित उनके नाम व पदस्थापना स्थल से मुख्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2.19 से लागू (संशोधन अधिनियम 2019) नवीन आरक्षण रोस्टर का पालन किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में संभागवार जानकारी के अभाव में जबलपुर संभाग की तेन्दुखेडा मंडी से कु. संख्या गोटिया पुत्री स्व. श्री सोमनाथ कोल मंडी निरीक्षक, रीवा संभाग की रिंगरौली मंडी से श्री शुभम सिंह बघेल पुत्र स्व. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह स.उ.नि. तथा ग्वालियर संभाग की भिण्ड मंडी से श्रीमति वैशाली शर्मा पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा चौकीदार के प्रकरण लंबित है। संबंधित मंडी सचिवो को निर्देशित किया गया कि वे ऑचलिक कार्यालय के माध्यम से पूर्ण जानकारी मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

21 सहायक उपनिरीक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होना शेष है जिसकी सूची ऑचलिक अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। उक्त कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी जैसे जाति प्रमाणपत्र, भर्ती का तरीका, नियुक्ति आदेश, जाति सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र सत्यापन, ई.ओ.डब्ल्यू. विभा.जांच आदि की जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार सभी ऑचलिक कार्यालयों से वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जानकारी चाही गई थी जिसमें मात्र जबलपुर संभाग से अप्राप्त है। जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ताकि आदेश जारी किये जा सकें।

योजना शाखा :—

मंडी प्रांगण में कृषक/हम्माल एवं तुलावटी हेतु रूपये 5/— थाली भोजन की योजना के तहत प्रदेश की 36 कृषि उपज मंडी समितियों में केन्टीन बन्द है जिन्हें तत्काल चालू कर भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश मंडी सचिवों को दिये गये। साथ ही कृषक भोजन व्यय के भुगतान की एकजाई जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने के निर्देश है परन्तु सभी संभागों से जानकारी अप्राप्त है। केन्टीन में भोजन की गुणवत्ता, केन्टीन में साफ—सफाई एवं व्यवस्थाओं में सुधार करने, योजना प्रारंभ दिनांक से अगस्त 2019 तक कितने कृषक एवं हम्माल/तुलावटियों को भोजन कराया गया एवं कितनी राशि व्यय हुई निर्धारित प्रपत्र मे वर्षवार संलग्न कर एकजाई जानकारी मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना के तहत बलराम जयंती के उपलब्ध में पुरूस्कृत कृषकों की संख्या एवं राशि की जानकारी चाही गयी थी जो अप्राप्त है। साथ ही इस योजना के तहत योग्य मंडी के कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल करने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण (संबल) योजना अन्तर्गत संभाग की अधिनस्थ मंडी समितियों से लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटियों के पंजीयन की अद्यतन जानकारी अप्राप्त है। वर्तमान में मंडियों में कार्यरत लगभग 45465 हम्माल/ तुलावटियों में से 16946 का पंजीयन हुआ 28519 पंजीयन होना शेष है। मंडी बोर्ड द्वारा प्रदेश की मंडी समितियों के लायसेंसधारी मंडी व्यापारियों को सम्मानित करने के लिये मंडी व्यापारी सम्मान योजना 2019 लागू की गई है जिसका पालन कराने के निर्देश दिये गये।

प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो गई है उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिये केम्प आयोजित कर वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिये गये। मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिये समूह बीमा के संबंध में मंडियों मे केम्प लगाकर उक्त योजना में सदस्य बनाया जाये ताकि दुर्घटना घटित होने पर उनके परिवार वालों को उक्त बीमा योजना का लाभ मिल सके। पालन प्रतिवेदन वर्तमान तक अप्राप्त। सभी ऑचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मंडी समितियों से जानकारी मंगाई जाकर एकजाई पालन प्रतिवेदन तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

ड्रायफूट (सूखे मेवे) की मण्डियों मे आवक के संबंध मे : — मण्डी अधिनियम की अनुसूची मे नवीन शीर्ष 16 पर ड्रायफूट (सूखे मेवे) है विभिन्न व्यापारी संघो द्वारा आपत्ती तथा अनुसूची से निरस्त करने की मांग की जा रही है अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.09.2019 एवं 15.10.2019 से आपके मण्डी क्षेत्र अन्तर्गत ड्रायफूट (सूखे मेवे) की कितनी आवक होती है, शीघ्र जानकारी उपलब्ध करावे।

खरीफ 2019 मे ई–उपार्जन पोर्टल के संबंध मे :– खरीफ 2019 मे ई–उपार्जन पोर्टल पर 03.10.2019 से 23.10.2019 तक मक्का, सोयाबीन, मूंग, उडद, अरहर, मूंगफली, कपास, तिल एवं रामतिल के पंजीयन के संबंध मे इस कार्यालय का पत्र दिनांक 03.10.2019 से आवश्यक निर्देश जारी किये गये है तद्उपरांत कार्यवाही की जाए।

डिफॉलटर फर्मो के संबंध में :– जिन मण्डी समितियों के व्यापारियो द्वारा कृषकों की कृषि उपज क्रय कर, कृषि उपज का भुगतान नहीं किया/किया जा रहा है, उक्त संबंध मे इस कार्यालय का पत्र कमांक 2738 दिनांक 15.10.2019 से अद्यतन स्थिति चाही गई है। किसानो को शीघ्र भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

एगमार्कनेट–

भारत सरकार की एगमार्कनेट परियोजना अन्तर्गत प्रदेश के 293 नोडस अन्तर्गत माह सितम्बर 2019 में डाटा रिपोर्टिंग करने वाली मंडी समिति की समीक्षा की गयी जिसमें 21 से 30 दिवस में डाटा रिपोर्टिंग करने वाली मंडियों की संख्या 184 रही है तथा 11 से 20 दिवस की डाटा रिपोर्टिंग करने वाली मंडियों की संख्या 63 रही है। साथ ही भोपाल संभाग अन्तर्गत मंडी समिति गुलाबगंज, जीरापुर, माचलपुर एवं सुठालिया। इन्दौर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति मनावर, उज्जैन संभाग अन्तर्गत मंडी समिति भानपुरा, ग्वालियर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति बानमोरकला एवं भिण्ड (फल–सब्जी), सागर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति निवाडी (फल–सब्जी) एवं शाहगढ, जबलपुर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति, बालाघाट (फल–सब्जी), कटनी

(फल–सब्जी), लखनादौन (फल–सब्जी), पार्डुना (फल–सब्जी), सौसर (फल–सब्जी), सीहोरा (फल–सब्जी) एवं शहपुरा भिटौनी (फल–सब्जी) द्वारा माह में एक भी दिवस की डाटा रिपोर्टिंग नहीं की गयी है। उक्त संबंध में संबंधित ऑचलिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाकर उपरोक्त मंडियों में डाटा रिपोर्टिंग आवश्यक रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये।

नवीन मंडी शाखा :–

मंडी समितियों के प्रागणों को उन्नयन के संबंध जानकारी चाही गई है वह इस प्रकार है– **भोपाल संभाग**– कृषि उपज मंडी समिति बरेली के अन्तर्गत ग्राम बाडी में उपमंडी स्थापना हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंधन में जानकारी चाही गई थी जो वर्तमान तक अप्राप्त है। इसी प्रकार मंडी समिति खुजनेर के अन्तर्गत ग्राम राजगढ में उपमंडी को स्वतंत्र मंडी बनाये जाने के संबंध में शासन के मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव चाहे गये थे जो वर्तमान तक अप्राप्त है।

सागर संभाग– मंडी हरपालपुर के प्रांगण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में जानकारी अप्राप्त है। कृषि उपज मंडी समिति लवकुशनगर के अन्तर्गत ग्राम गौरिहार में उपमंडी स्थापना हेतु भूमि के अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है। इसी प्रकार मंडी समिति पन्ना की उपमंडी गुन्नौर को स्वतंत्र मंडी बनाये जाने के संबंध में मान. मुख्यमंत्रीजी कार्यालय से प्राप्त पत्र के संबंध में उप संचालक सागर से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी अप्राप्त है।

जबलपुर संभाग– मंडी समिति कटनी के अन्तर्गत ग्राम बहोरीबन्द में मंडी स्थापना हेतु शासन के मापदण्डानुसार जानकारी अप्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के अंतर्गत छिंदवाडा जिले के ग्राम जुन्नारदेव एवं मंडी सौसर के अन्तर्गत ग्राम बिछुआ में उपमंडी की स्थापना के संबंध में मंडी सचिव छिंदवाडा एवं ऑचलिक उप संचालक से जानकारी अप्राप्त है।

ग्वालियर संभाग– मंडी समिति पिछोर के अन्तर्गत ग्राम खोड में उपमंडी स्थापना बावत् जानकारी ऑचलिक कार्यालय ग्वालियर एंव मंडी पिछोर से अप्राप्त है, मंडी समिति बदरवास के नवीन मंडी प्रांगण हेतु ग्राम तिलातिली में आवंटन के संबंध में प्रस्ताव अप्राप्त है, मंडी समिति कोलारस जिला शिवपुरी के नवीन मंडी प्रांगण की भूमि आवंटन के संबंध में जानकारी चाही गयी थी जो अपेक्षित है, मंडी समिति आलमपुर की उपमंडी दबोह हेतु नई भूमि चयन के संबंध में जानकारी अप्राप्त, मंडी समिति आलमपुर के अन्तर्गत ग्राम दबोह उपमंडी के संबंध में विधानसभा सत्र 2017 तारांकित प्रश्न क्र–44 की जानकारी अप्राप्त। मंडी समिति मकसूदनगढ एवं बीनागंज मंडी समितियों को स्थानांतरित करने के संबंध में जानकारी अप्राप्त है।

उज्जैन संभाग की उन्हैल के प्रांगण विस्तार हेतु भूमि आवंटन के संबंध में जानकारी एवं पुराने प्रांगण से लगी हुई भूमि अथवा उससे हटकर भूमि की स्पष्ट जानकारी वर्तमान तक अप्राप्त है। मंडी समिति सीतामउ के अन्तर्गत ग्राम नाहरगढ में उपमंडी स्थापना का प्रस्ताव मंडी एवं

ऑचलिक कार्यालय से अप्राप्त है। कृषि उपज मंडी समिति गरोठ के अन्तर्गत ग्राम बोलिया में उपमंडी स्थापना हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है।

रीवा संभाग– मंडी समिति, वैकुण्ठपुर की उपमंडी मनगंवा को स्वतंत्र मंडी बनाने हेतु भूमि आवंटन के प्रकरण पर प्रमुख राजस्व आयुक्त के पत्र से कलेक्टर जिला रीवा से वांछित जानकारी चाही है तो अप्राप्त है। इसी प्रकार मंडी समिति नागौद की उपमंडी उचैहरा को पूर्ण मंडी का दर्जा दिये जाने हेतु शासन के निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित प्रश्नावली में पूर्ण प्रस्ताव चाहे गये थे परन्तु वर्तमान तक जानकारी अप्राप्त है। संबंधित मंडी सचिवों एवं ऑचलिक अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि वे तत्काल जानकारी मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

निर्माण शाखा :–

(1) तौल कांटे से संबंधित नवीन प्रपत्र मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। पिछले जारी किये गये प्रपत्रों को मुख्यालय द्वारा अधिकमित किया गया है।

(2) मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जावे, साथ ही जिन प्रयोगशाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उन्हें शीघ्र ही कृषि विभाग को हस्तांतरण कराया जावे।

(3) मंडी/उपमंडी प्रांगणों में पर्यावरण हितैशी कार्य जैसे वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग, सौर उर्जा एवं कचरा निष्पादन के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(4) सभी कार्यपालन यंत्री अपने अधिनस्थ चल रहे निर्माण कार्यो को समय–सीमा में पूर्ण कराये

(5) जिन मंडी प्रांगणों मे कपास की आवक होती है, उन मंडी प्रांगणों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किये जावे। यदि पूर्व में स्थापित हो तो उनका संचालन मय रिकार्डिंग के सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

(6) केन्टीन, कृषक विश्रामगृह एवं शौचालयों का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित किया जाये। शौचालयों को संचालन हेतु सुलभ इन्टरनेशनल संस्था को दिया जा रहा है। इस संबंध में केयर टेकर कक्ष, विद्युत एवं पानी की व्यवस्था शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(7) तौल कांटा की एकजाई निविदा के तहत जिन मंडियों में टेण्डर स्वीकृत हो गये है या होना प्रकियाधीन है उसकी जानकारी शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये।

(8) ई–नेम की मंडियों में ग्रेडिंग, क्लीनिंग एवं बैगिंग प्लांट की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। इस संबंध में ले–आउट प्लान में स्थल सुनिश्चित कर लिया जावे ताकि प्लांट स्थापना समय पर हो सके।

(9) प्रदेश की "स" एवं "द" वर्ग की प्रत्येक मंडी में आधारभूत संरचनाओं की उपलब्ध कराने हेतु राशि रू0 2.00 करोड के ता पूर्व निर्मित संरचनाओं की मरम्मत हेतु राशि रू0 50.00 लाख तक के प्रस्ताव दिनांक 23.10.2019 की आयोजित बैठक में साथ लाने के निर्देश दिये गये।

अंत में धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कमांक / बोर्ड / समन्वय / पार्ट-04/1082 भोपाल, दिनांक 04 / 11 / 2019

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

02. अपर संचालक / प्रमुख अभियंता / संयुक्त संचालक / अधीक्षण यंत्री / उप संचालक / लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

03. संयुक्त / उप संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय,.....
.....

04. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल